समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

रिवीजन प्रकरण कं................../16

1. श्रीमती अजुद्दी बाई लोधी
   पत्नि श्री महाराज सिंह
   आयु लगभग 35 वर्ष
2. हीरालाल लोधी आयु लगभग 40 वर्ष
   पुत्र श्री बालचंद लोधी
3. घासीराम लोधी पुत्र श्री मोहनलाल लोधी
   आयु लगभग 45 वर्ष
4. श्रीमती रामवती बाई
   पत्नि श्री रामस्वरूप राय
   आयु लगभग 30 वर्ष

सभी व्यवसाय–कृषि
सभी निवासीगण–ग्राम आमखेडा
तहसील व जिला रायसेन म.प्र. --- निगरानीकर्तागण

अभिभाषक श्री........... द्वारा आज दिनांक........ को पेश।
अधीक्षक

विरुद्ध

1. श्रीमती सुमित्रा बाई
   पत्नि श्री गणपत सिंह लोधी
   आयु लगभग 45 वर्ष
   निवासी–ग्राम मेडकी तहसील
   व जिला रायसेन म.प्र.
2. पन्नालाल लोधी पुत्र श्री बालचंद लोधी
   आयु लगभग 50 वर्ष
   निवासी–ग्राम आमखेडा, तहसील
   व जिला रायसेन म.प्र. --- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण माननीय तहसीलदार टप्पा सांची जिला रायसेन म.प्र. के आदेशानुसार धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

निरंतर...2

के आधार पर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से भूमि का सीमांकन प्र.क्र 13/अ-12/2015-16 दर्ज कराया जाकर तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 10.06.16 तथा पंचनामा दिनांक 08.06.16 जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गई जिसकी जानकारी दिनांक 01.08.16 को प्रतिप्रार्थी कं. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही सूचना पत्र प्राप्ति पर होने तथा दिनांक 14.09.16 को सीमांकन प्रतिवेदन तथा पंचनामा की नकल हेतु आवेदन दिनांक 14.09.16 को दिये जाने तथा दिनांक 05.10.16 को सीमांकन प्रतिवेदन एंव पंचनामे की प्रतिवेदन प्राप्त होने से यह निगरानी याचिका निम्न वैधानिक बिंदुओं एंव आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3736–पीबीआर / 16 अनुसूईबाई / चित्राबाई जिला–रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश का अवलोकन किया गया । प्रकरण में संलग्न दस्तोवजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदकगण को सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	